कार्यालय : प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
गैरसैंण चमोली (उत्तराखण्ड)

ई–मेल :gdcgairsain@gmail.com
वेबसाइट:www.gpgcgairsain.ac.in

पत्रांक : 08/विज्ञप्ति/2022–23 दिनांक : 05 अप्रैल 2022

विज्ञप्ति

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गैरसैंण (चमोली) में नितान्त अस्थाई व्यवस्था के अन्तर्गत शिक्षण कार्य हेतु अभ्यर्थियों से आमंत्रण

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गैरसैंण (चमोली) में विषय गणित–01, अंग्रेजी–02, अर्थशास्त्र–01 में रिक्त पदों पर शिक्षण सत्र 2022–23 में शिक्षण कार्य हेतु नितान्त अस्थाई व्यवस्था के अन्तर्गत यू0जी0सी0 अर्हताधारी अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र महाविद्यालय में पंजीकृत डाक से जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 20.04.2022 है। इच्छुक अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी महाविद्यालय के सूचना पट्ट/वेबसाइट **www.gpgcgairsain.ac.in** से प्राप्त कर सकते हैं।

(डॉ0 डी0सी0 पन्त)
प्राचार्य
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
गैरसैंण (चमोली)

प्राचार्य
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
गैरसैण (चमोली)

नितान्त अस्थाई व्यवस्था के अन्तर्गत शिक्षण कार्य हेतु नियुक्ति का निर्धारित प्रारूप
विज्ञप्ति संख्या – 08/2022–23 दिनांक 05.04.2022

आवेदित विषय...

पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटो

अभ्यर्थी का विवरण

1. अभ्यर्थी का नाम –
2. अभ्यर्थी के पिता का नाम –
3. माता का नाम –
4. पत्र व्यवहार का पता पिन कोड सहित –
5. स्थायी पता पिन कोड सहित –
6. जन्म तिथि –
7. श्रेणी (अनु0जाति/अनु0जनजाति/अ0पि0वर्ग0/विकलांग/अनारक्षित) –
8. शैक्षिक अर्हताओं का विवरण –

क्र. सं.	परीक्षा	वर्ष	विषय	बोर्ड/वि0वि0 का नाम	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत	संलग्नक पृ0सं0
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

9. अभ्यर्थी द्वारा किये गये शोध कार्य, शोध पत्र प्रकाशन (राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर) से संबंधित पुष्ट प्रमाण संलग्न करें।
10. स्नातक एवं परास्नातक स्तर पर किये गये अध्यापन कार्य अनुभव संबंधित पुष्ट प्रमाण संलग्न करें।
11. मोबाइल नम्बर –
12. आधार नम्बन –

नोट :– (समस्त प्रमाण–पत्रों की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है)।

घोषणा

मैं डॉ0/श्री/श्रीमती/कु0...घोषणा करता/करती हूं कि उपरोक्त क्रमांक 01 से 12 तक अंकित समस्त सूचनाएं सत्य हैं। मेरे द्वारा किसी तथ्य को छिपाया नहीं गया है। यदि कोई सूचना असत्य पायी गयी तो मेरा अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा तथा मेरे विरुद्ध विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है।

स्थान : अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक : नाम एवं पूर्ण पता –

कार्यालय : प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गैरसैंण चमोली (उत्तराखण्ड)।

ई–मेल :gdcgairsain@gmail.com
वेबसाइट:www.gpgcgairsain.ac.in

प्राचार्य/प्रवक्ताओं के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण (अद्यतन स्थिति अनुसार)

क्र0 सं0	विषय	कुल सृजित पद	नियमित	संविदा	गैस्ट(प्रातःकालीन /संध्याकालीन)	कामचलाऊ	कुल कार्यरत	कुल रिक्त पद
1	प्राचार्य	01	01	—	—	—	01	—
2	हिन्दी	03	02	—	—	01	03	—
3	भूगोल	03	03	—	—	—	03	—
4	अर्थशास्त्र	03	01	—	—	01	02	01
5	अंग्रेजी	03	—	—	01	—	01	02
6	समाजशास्त्र	01	01	—	—	—	01	—
7	राजनीति विज्ञान	01	—	—	—	01	01	—
8	इतिहास	01	—	—	01	—	01	—
9	भौतिक विज्ञान	01	—	—	—	01	01	—
10	रसायन विज्ञान	01	01	—	—	—	01	—
11	गणित	01	—	—	—	—	—	01
12	जन्तु विज्ञान	01	01	—	—	—	01	—
13	वनस्पति विज्ञान	01	01	—	—	—	01	—
योग		21	11	—	02	04	17	04

(डॉ0 डी0सी0 पन्त)
प्राचार्य
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
गैरसैंण (चमोली)

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड,

डिग्री सेवा/संविदा/7220/2021–22
हल्द्वानी, नैनीतालः दिनांक 31 मार्च, 2022
ई–मेल highereducation.director@gmail.com

सेवा में,

समस्त प्राचार्य,
राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय **(पर्वतीय क्षेत्र)**
उत्तराखण्ड।

विषयः **पर्वतीय राजकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के स्वीकृत/रिक्त पदो के सापेक्ष नितान्त अस्थाई व्यवस्था के अन्तर्गत वर्तमान शिक्षण सत्र में अस्थाई शिक्षकों सेवायोजन/तैनाती के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपयुक्त विषयक शासनदेश संख्या 18/XXIV-C-4/2022-01(23)/2021 दिनांक 07.01. 2022 एवं निदेशालय के पृष्ठांकन संख्या डिग्री संविदा/5757/2021–22 दिनांक 08 .01. 2022 के क्रम में सम्बन्धित महाविद्यालयों से सेवायोजन/तैनाती हेतु प्राप्त अनुरोध पत्रों के आधार पर पर्वतीय क्षेत्र में अवस्थित राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में संचालित हो रहे निम्न विषयों में आवश्यकतानुसार रिक्त पदो के सापेक्ष विज्ञापन जारी करने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

1. हिन्दी
2. चित्रकला
3. सांख्यिकी
4. अंग्रेजी
5. वाणिज्य
6. भौतिक विज्ञान
7. रसायन विज्ञान
8. जन्तु विज्ञान
9. वनस्पति विज्ञान
10. गणित
11. सैन्य विज्ञान
12. भूगर्भ विज्ञान
13. कंम्यूटर विज्ञान
14. भूगोल
15. अर्थशास्त्र
16. गृहविज्ञान
17. प्रोफेसर बी.टेक कंम्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंक
18. एसोसिएट प्रोफेसर बी टेक कंम्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग
19. एसोसिएट प्रोफेसर बी टेक निमार्ण प्रौद्योगिकी
20. एसोसिएट प्रोफेसर बी टेक खाद्य प्रौद्योगिकी
21. सहायक प्रोफेसर बी.एससी अक्षय उर्जा
22. सहायक प्रोफेसर बी.टेक कंम्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग
23. सहायक प्रोफेसर बी.टेक निमार्ण प्रौद्योगिकी
24. सहायक प्रोफेसर बी.टेक खाद्य प्रौद्योगिकी

अतः इस सन्दर्भ में जिन महाविद्यालयों में उपर्युक्त वर्णित 24 विषयों में से कोई भी विषय/पद सृजित है तथा वर्तमान में वह विषय शुद्ध रूप से रिक्त है, मात्र उन महाविद्यालयों को विज्ञप्ति जारी करने की अनुमति प्रदान की जाती है एवं निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 18/XXIV-C-4/2022-01(23)/2021 दिनांक 07.01.2022 में दिये गये समस्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए यू.जी.सी. विनियम–2018 में दी गयी अर्हतानुसार सेवायोजन/तैनाती प्रक्रिया प्रारंभ करना सुनिश्चित करें तथा निदेशालय को भी विज्ञापन की छायाप्रति प्रेषित करें।

संलग्नकः– यथोपरि

भवदीय,

(डॉ0 संदीप कुमार शर्मा)
प्रभारी निदेशक, उच्च शिक्षा
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

संख्या– 18 /XXIV-C-4/2022-01(23)/2021

प्रेषक,

एम0एम0 सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तरखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा, हल्द्वानी (नैनीताल),
उत्तराखण्ड।

उच्च शिक्षा अनुभाग–4 देहरादूनः दिनांक 07 जनवरी, 2022

विषय– राजकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के स्वीकृत/रिक्त पदों के सापेक्ष नितान्त अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत वर्तमान शिक्षण सत्र में अस्थाई शिक्षकों के सेवायोजन/तैनाती के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक–5031, दिनांक 16.12.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों में कुल 157 रिक्त पदों का उल्लेख करते हुए नितान्त अस्थायी शिक्षकों की भर्ती हेतु अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2– प्रदेश के कतिपय राजकीय महाविद्यालयों के उच्चीकरण तथा नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के फलस्वरूप विभिन्न विषयों में पद सृजित हुए हैं। उपरोक्तानुसार विभिन्न विषयों में सहायक प्राध्यापकों के पद रिक्त होने के फलस्वरूप वर्तमान शिक्षण सत्र को सुचारू रूप से संचालित किये जाने के दृष्टिगत् छात्रहित/जनहित में अतिथि शिक्षकों को उनके गृह जनपद के अन्य विद्यालयों में रिक्त पद के सापेक्ष (नितान्त अस्थाई व्यवस्था के अन्तर्गत) निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार सेवा योजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1–पर्वतीय क्षेत्र के महाविद्यालयों में योग्य अभ्यर्थियों को 11 माह के लिए नियमित प्राध्यापक के स्थानान्तरण अथवा मा0 उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए अनुबन्ध के आधार पर गेस्ट फैकल्टी/काम चलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत आमंत्रित किया जायेगा।

2–यू0जी0सी0 की अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।

3–अभ्यर्थियों का चयन सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य स्तर से विज्ञापन प्रसारित करते हुए किया जायेगा।

4–शिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या–412/XXIV-C-4/2021-01(44)/2016, दिनांक 03.09.2021 द्वारा पुनरीक्षित मानदेय रू0 35000/– के आधार पर उक्त नियत मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

5–उक्त पद पर चयनित अतिथि सहायक प्राध्यापकों को नियमित पदों के सापेक्ष रखे जाने का कोई भी दावा अस्वीकार्य होगा।

6–उपरोक्तानुसार अस्थाई शिक्षकों (नितान्त अस्थाई व्यवस्था के अन्तर्गत) की तैनाती करते समय कार्मिक विभाग के संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सहमति एवं सक्षम स्तर के अनुमोदन से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम0एम0 सेमवाल)
अपर सचिव।

संख्या– (1)/XXIV-C-4/2021-01(23)2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2–सचिव, मंत्रिपरिषद अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन को उनके पत्र संख्या–4/2/XXVI/ XXI/2021, दिनांक 05.01.2022 के क्रम में सूचनार्थ।
3–निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
4–निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
5–सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा–निदेशक, उच्च शिक्षा।
6–सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा–निदेशक, उच्च शिक्षा।
7–समस्त अनुभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8–वित्त अनुभाग–7 एवं कार्मिक अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
9–गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

आज्ञा से,

(शिवस्वरूप त्रिपाठी)
उप सचिव।

श्री मनीष चन्द्र (लेखा)
आ0 का0 करें।

प्राचार्य
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
गैरसैण (चमोली)

पृ0सं0: डिग्री संविदा/ 5757 /2021–22 दिनांकः 08.01.2022

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
2. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. अपर सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. समस्त प्राचार्य (पर्वतीय क्षेत्र), स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. कार्यालय प्रति।

8/01/22

(डॉ0 एन0 एस0 बनकोटी)
उप निदेशक
कृते निदेशक, उच्च शिक्षा